रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 734]	नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 29, 2017/भाद्र 7, 1939
No. 734]	NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 29, 2017/BHADRA 7, 1939

lMd ifjogu vkj jktekxl e=ky;

vf/klpuk

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2017

lk-dk-fu- 1112(v)-&केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

2. इन प्रारूप नियमों पर, आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 या ई मेलः js-tpt@gov.in पर उपरोक्त लिखित समयावधि के भीतर भेजे जा सकेंगें।

3. केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों की बाबत् ऐसे किन्ही आक्षेपों और सुझावों पर, जो किसी व्यक्ति से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों, विचार किया जाएगा।

ik:lk fu;e

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989, (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के, नियम 47 में, उप–नियम (1) में, खंड (i) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :–

(i) ''(iक) नियम 138क में प्रवर्ग एम और प्रवर्ग एन के मोटर यानों के लिए विनिर्दिष्ट फास्टैग लगाने का सबूत;''

3. मूल नियम में, नियम 138क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

''138क. फास्टैग का लगाना–(1) 1 अक्टूबर, 2017 को और उसके पश्चात् बेचे गये प्रवर्ग एम और प्रवर्ग एन मोटर यानों में प्राधिकृत डीलर द्वारा फास्टैग लगे होंगे।

Li"Vhdj.k&इस नियम के प्रयोजनों के लिए, फास्टैग से किसी ऑन बोर्ड यूनिट (ट्रांसपोंडर) या यानों के सामने वाली विंडस्क्रीन पर लगी ऐसी कोई युक्ति जैसा कि राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) द्वितीय संशोधन नियम, 2014 के नियम 2(जक) में परिभाषित है, अभिप्रेत है:

परन्तु कोई यान जो ड्राइव–एवे–चेसिस के रूप में विंडस्क्रीन के बिना बेचा जाता है, के मामले में ऐसे फास्टैग को वाहन स्वामी द्वारा रजिस्ट्रीकरण से पूर्व विंडस्क्रीन पर लगाया जाएगा।''

[फा. सं. आर.टी.–11028/16/2011–एम.वी.एल.]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

fVIi.k % मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखण्ड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 02 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अन्तिम बार सा.का.नि.––– (अ), तारीख ––– द्वारा संशोधित किए गये।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2017

G.S.R. 1112(E).—The following draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the Public;

2. The Objections or Suggestions, if any to these draft rules be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, New Delhi-110001 or through email: js-tpt@gov.in , within the period, specified above;

3. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules within the period as specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (--------- Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred as the principal rules), in the rule 47 sub-rule (1), after clause (i), following shall be inserted, namely:—

"(ia) proof of fitment of FASTag specified in rule 138A for vehicle category M & N;".

3. In the principal rules, for rule 138A, the following shall be substituted, namely:—

"138A. Fitment of FASTag.- Categories M and N motor vehicles sold on and after the 1st October, 2017, shall be fitted with FASTag by the authorised dealer:

Explanation – For the purposes of this rule, FASTag means an onboard unit (transponder) or any such device fitted on the front windscreen of the vehicle as defined in rule 2 (ha) of National Highway Fee (Determination of Rules and Collection) Second Amendment Rules, 2014:

Provided that in case of any vehicle which is sold in the form of drive-away-chassis without windscreen, such FASTag shall be fitted on the windscreen by the vehicle owner before the registration of such vehicles.".

[F. No. RT-11028/16/2011-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. ____________(E), dated the _______________.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.08.29 22:19:19 +05'30'